संख्या-717/81-2-2023-800(73)/2021

प्रेषक,

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 23 मई, 2023

विषय- जनपद हापुड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (नई संख्या-09) दिल्ली-लखनऊ मार्ग के किमी0 34.00 से किमी0 49.80 तक कुल 15.80 किमी0 सडक के किनारे पर भूमिगम 12 इंच तथा 125 एमएम (5) व्यास की कार्बन स्टील तथा एम0डी0ई0पी0 गैस पाईप लाईन एवं इसके साथ 50 एमएम (2 इंच व्यास की डक्ट) बिछाये जान हेतु 0.7900 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/पाईपलाईन/53780/2020)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2738/11-सी-एफपी/यूपी/पाईपलाईन/53780/2020 दिनांक 25.02.2023 एवं पत्रांक-952/11-सी-एफपी/यूपी/पाईपलाईन/53780/2020 दिनांक 20.09.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,नई दिल्ली के दिशा-निर्देश पत्र संख्या-एफसी-11/165/2019/एफसी, दिनांक 27-7-2020 मे विहित प्राविधानों के क्रम में जनपद हापुड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 (नई संख्या-09) दिल्ली-लखनऊ मार्ग के किमी0 34.00 से किमी0 49.80 तक कुल 15.80 किमी0 सडक के किनारे पर भूमिगम 12 इंच तथा 125 एमएम (5) व्यास की कार्बन स्टील तथा एम0डी0ई0पी0 गैस पाईप लाईन एवं इसके साथ 50 एमएम (2 इंच व्यास की डक्ट) बिछाये जान हेतु 0.7900 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 08.04.2021 के क्रम में उपलब्ध करायी गई आख्या के आधार पर विधिवत स्वीकृति निम्न शर्तो /प्रतिबंधों के अधीन निर्गत की जाती है-

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portel.
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.
5	The lay out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
6	No labour camps shall be established on the forest land.
7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
10	Violation of any of these conditions will amut to violation of Forest (Conservaton) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
11	Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https:/ parivesh.nic.in).

13	गैस पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड्कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगे।
14	गैस पाइप लाइन /टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच. की गहराई 2.00 मीटर तथा चौडाई 1.00 मीटर से अधिक नही होगी।
15	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
16	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा।
17	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
19	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
20	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
21	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
22	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II (I) , दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है।
23	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये , जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।
24	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।
25	नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।
26	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
27	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से

	अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
28	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र , लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।
29	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05-02-2009 के क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 06-01-2022 एवं संशोधित दिनांक 19.01.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।
30	प्रश्नगत विधिवत स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

Signed by आशीष तिवारी
Date: 22-05-2023 16:17:09
Reason: Approved

(आशीष तिवारी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ।

(2)- वन संरक्षक मेरठ वृत्त मेरठ।

(3)- जिलाधिकारी, हापुड।

(4)- प्रभागीय वनाधिकारी हापुड वन प्रभाग हापुड।

(5)- श्री अजय त्यागी वाईस प्रेसीडेन्ट प्रोजेक्टस इन्द्रप्रस्थ गैस लि० आर०के० पुरम सेक्टर-9 नई दिल्ली।

(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आशीष तिवारी)
सचिव।